

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-33/2024

845-641 / यो0वि0, पटना, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

**विषय:** योजना एवं विकास विभाग एवं क्षेत्रीय योजना कार्यालयों के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलाइजेशन अन्तर्गत Command & Control Centre and Video Conference Solution के स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में एजेंसी को भुगतान हेतु मो0 4,35,77,270.00 (चार करोड़ पैतीस लाख सत्तहतर हजार दो सौ सत्तर रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति के संबंध में।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955 दिनांक-15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1141 दिनांक-23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को केन्द्रीयकृत स्तर पर अनुश्रवण, निगरानी एवं समन्वय स्थापित करने के लिए Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना की गयी है। इसके लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी M/s Graphics Traders Pvt. Ltd. का चयन किया गया।

4. Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-107 स्वी0 दिनांक-20.02.2025 के द्वारा मो0 17,52,39,555.00 रुपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. M/s Graphics Traders Pvt. Ltd. द्वारा उक्त कार्य का 1st Milestone पूर्ण करने के उपरांत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-200 स्वी0 दिनांक-22.03.2025 द्वारा कुल एकरारित राशि का 70 प्रतिशत राशि मो0 12,20,16,354.00 (बारह करोड़ बीस लाख सोलह हजार तीन सौ चौवन) रुपये मात्र सभी कर सहित भुगतान किया गया है।

6. पुनः M/s Graphics Traders Pvt. Ltd. द्वारा Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना उपरांत मो0 5,22,92,724.00 रुपये का विपत्र भुगतान हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय तकनीकी समिति की अनुशंसा एवं विभागीय परामर्शी KPMG द्वारा प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन तथा RFP के निहित शर्तों के आलोक में समर्पित विपत्र की राशि मो0 5,22,92,724.00 रुपये में से 2nd Milestone एवं Successfull completion of FAT/GO Live का कार्य करने के उपरांत अनुमान्य

कुल एकरारित राशि का शेष 25% राशि मो0 4,35,77,270.00 (चार करोड़ पैतीस लाख सत्तहतर हजार दो सौ सत्तर रुपये) रुपये मात्र के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. उपर्युक्त के आलोक में Command and Control Center & Video Conference Solution की स्थापना हेतु M/s Graphics Traders Pvt. Ltd. द्वारा 2nd Milestone एवं Successfull completion of FAT/GO Live का कार्य पूर्ण करने के उपरांत मो0 4,35,77,270.00 (चार करोड़ पैतीस लाख सत्तहतर हजार दो सौ सत्तर रुपये) रुपये की राशि की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. मेसर्स Graphics Traders Pvt. Ltd. को भुगतान की जानेवाली राशि में से नियमानुसार 2% आयकर एवं 2% GST की राशि के रूप में कटौती की जायेगी।

9. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या-35-योजना एवं विकास विभाग, मुख्यशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2235602000117 विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय मद के तहत विकलनीय होगा।

10. इस राशि की विमुक्ति योजना एवं विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845 6410 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845 6410 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: निदेशक, M/s Graphic Trades Pvt. Ltd., C-15B, S.K Puri, Baswan Park Lane, Boring Road, Patna 800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845 6410 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/ विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845 6410 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845-640 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845-640 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845-640 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845-640 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-33/2024 845-640 / यो0वि0, पटना, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

8) 3113.2102 4255